भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**राज्य सभा**

मौखिक प्रश्न सं. ***11**

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आना**

*11. **श्री सी. एम. रमेशः**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत एक वर्ष के दौरान कश्मीर आने वाले विदेशी पर्यटकों सहित, पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और कश्मीर भ्रमण के लिए पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री के.जे. अल्फोंस)**

(क) से (ख) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

*******

कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आने के बारे में राज्य सभा में दिनांक 11.12.2018 को उत्तरार्थ मौखिक प्रश्न सं. *11 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित **विवरण।**

(क) : जी, नहीं। वर्ष 2017 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) तथा विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) की संख्या क्रमश: 142.35 लाख (अनंतिम) और 0.80 लाख (अनंतिम) थी जिसमें वर्ष 2016 की तुलना में क्रमश: 51.2% और 26.2% की सकारात्मक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार कश्मीर क्षेत्र के लिए अलग से यह आंकड़े संधारित नहीं करता है।

(ख) : भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के लिए निम्नलिखित सहित अनेक उपाय किए हैं:-

i वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन मिशन अभियान (प्रशाद) और स्वदेश दर्शन योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: 42.02 करोड़ रु. और 569.19 करोड़ रु. की पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति।

ii जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए मेलों एवं महोत्सवों के आयोजन हेतु 100% केन्द्रीय वित्तीय सहायता की अनुमति।

iii प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों तथा प्रदर्शनियों में इंडिया पैवेलियनों में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए नि:शुल्क स्थान देने का प्रावधान।

iv पर्यटन मंत्रालय जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पर्यटन के संवर्धन हेतु दूरदर्शन तथा निजी टी.वी. चैनलों पर राज्य से सम्बन्धित विशेष अभियान चला रहा है।

v भारत सरकार के कर्मचारियों को गृह-नगर छुट्टी यात्रा भत्ता के एवज में जम्मू एवं कश्मीर जाने के लिए छुट्टी यात्रा भत्ता (एलटीसी) लेने की अनुमति है।

vi मार्किट विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय विदेशों में यात्रा मेलों/ प्रदर्शनियों तथा रोड़ शोज़ में भागीदारी द्वारा पर्यटन संवर्धन कार्यकलापों के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं (होटल प्रचालकों, यात्रा एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों आदि) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए, एमडीए स्कीम के अन्तर्गत राज्य अनुमोदित सेवा प्रदाता भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र है।

*******